

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 163/11

संस्थापन दिनांक:-21/06/11

फाईलिंग नं. 233504000502011

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

विजय पिता नंदलाल राठौर,
उम्र 41 वर्ष, निवासी इतवारी चौक आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 18.04.2011 को समय दोपहर 12 बजे मोहन ढाबा मेन रोड आमला पंखा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रोड पर वाहन क्र. एमपी-48-एमबी-3503 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित कर सुखवंती बाई को टक्कर मारकर घोर क्षति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 18.04.2011 को आमला जाने के लिए मोहन ढाबा मेन रोड आमला पंखा में रोड किनारे बस का इंतजार करते खड़ी थी तभी दिन करीब 12 बजे एक मोटर सायकिल चालक बैतूल तरफ से अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी एवं लापरवाही से चलाते लाया और उसे टक्कर मार दिया जिससे वह गिर गया और उसके दाहिने पैर के घुटने के नीचे चोट आकर खून निकला। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस चौकी एम.एच. में मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमबी-3503 के चालक विजय राठौर के विरुद्ध अपराध क्र. 49/11 धारा 279, 337 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर असल कायमी हेतु थाना आमला भेजा गया जहां अभियुक्त के विरुद्ध विरुद्ध अपराध क्र. 100/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से बजाज डिस्कवर मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमसी-8104 को रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिशी एवं ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति के जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी की एक्सरे रिपोर्ट में फेक्चर पाये जाने से प्रकरण में धारा 338 भा.दं.सं. का

इजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.04.2011 को समय दोपहर 12 बजे मोहन ढाबा मेन रोड आमला पंखा थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत रोड पर वाहन क्र. एमपी-48-एमबी-3503 का चालक होते हुए उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित कर सुखवंती बाई को टक्कर मारकर घोर क्षति कारित की ?
3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

5 उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने के कारण साक्ष्य के दोहराव से बचने हेतु एवं सुविधा की दृष्टि से दोनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 सुखवंती (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त विजय ने उसे मोटर सायकिल से टक्कर मार दिया था जिससे उसका दाया पैर टूट गया था। उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए साक्षी गुड्डू (अ.सा.-2) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त विजय राठौर ने मोटर सायकिल से उसकी पत्नी को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी पत्नी सुखवंती को पैर में दो जगह चोट आयी थी और दाहिना पैरा घुटने के नीचे से टूट गया था। इसके बाद सुखवंती को जिला चिकित्सालय बैतूल ले गये थे जहां पर उसका ईलाज हुआ था। गोविंद (अ.सा.-3) ने परीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसे फोन पर सूचना मिली तब वह मौके पर गया और उसने देखा कि सुखवंतीबाई घायल अवस्था में बैठी हुई है जिसे जिला अस्पताल बैतूल ले गये थे।

7 डॉ. राहुल श्रीवास्तव (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह 18.04.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर आकस्मिक ड्यूटी पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आहत सुखवंती का

मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें आहत के दाहिने पैर पर एक प्लास्टर बंधा हुआ था जिसके लिए उसने आहत को एक्सरे कराने की सलाह दी थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-7) को प्रमाणित भी किया है।

8 डॉ. ओ.पी. यादव (अ.सा.-8) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि दिनांक 19.04.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आहत सुखवंती का एक्सरे परीक्षण किया था जिसका प्लेट क्र. 2792 है जिसमें दायी टीबिया और फिबुला हड्डी टूटी हुई थी। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी एक्सरे रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-8) को प्रमाणित भी किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी डॉ. राहुल श्रीवास्तव (अ.सा.-7) सुखवंती (अ.सा.-1), गुड्डू (अ.सा.-2) एवं गोविंद (अ.सा.-3) के कथनों से आहत सुखवंती को मोटर सायकिल से टक्कर लगने के कारण चोट आने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। अतः प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या आहत को आयी उक्त चोट अभियुक्त द्वारा अपने वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर कारित की गयी थी।

9 सुखवंती (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त को जानना प्रकट करते हुए यह प्रकट किया है कि वह ग्राम मोरनढाना में दोपहर के समय आमला आने के लिए बस का इंतजार कर रही थी तभी वहां पर अभियुक्त विजय मोटर सायकिल से आया और उसे टक्कर मार दिया। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त बहुत स्पीड से गाड़ी को चलाकर लाया था। उसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ था तथा घटना स्थल पर उस समय कोई नहीं था। गुड्डू (अ.सा.-2) ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त विजय राठौर ने मोटर सायकिल लगभग चालीस की स्पीड से चलाकर उसकी पत्नी को टक्कर मार दिया था। साथ ही यह भी प्रकट किया है कि यदि अभियुक्त गाड़ी अच्छे से चलाता तो दुर्घटना नहीं होती। दिनेश (अ.सा.-5) ने यह प्रकट किया है कि वह घटना के समय गांव से बाहर था, शाम को जब वह गांव आया तो उसे पता चला कि सुखवंतीबाई (अ.सा.-1) का अभियुक्त विजय राठौर ने मोटर सायकिल से एक्सीडेंट कर दिया है। उक्त साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसे अस्पताल में सुखवंती ने यह बताया था कि अभियुक्त मोटर सायकिल को बहुत तेजी से चलाकर उसे टक्कर मार दिया था।

10 गोविंद (अ.सा.-3) एवं अशोक (अ.सा.-4) ने यह प्रकट किया है कि उन्हें फोन पर दुर्घटना की खबर मिली थी तब वे मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में सुखवंतीबाई (अ.सा.-1) को देखा था। गुरुप्रसाद (अ.सा.-6) ने यह प्रकट किया है कि उसके समक्ष कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। उपर्युक्त साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उनके समक्ष मोटर सायकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाकर सुखवंतीबाई को टक्कर मार दिया था जिससे उसे चोट आयी थी।

11 लख्खू साहू (अ.सा.-9) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि वह दिनांक 26.04.2011 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ उसने पुलिस चौकी अस्पताल बैतूल से अपराध क्र. 49/11 की प्रथम सूचना रिपोर्ट

असल कायमी हेतु प्राप्त होने पर मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमबी-3503 के चालक अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 100/11 में (प्रदर्श प्री-9) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया जाना बताया है।

12 सुरेंद्र वर्मा (अ.सा.-10) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि वह दिनांक 18.04.2011 को जिला चिकित्सालय बैतूल की पुलिस चौकी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे आहत सुखवंती को एकसीडेंट में चोट आने से भरती कराये जाने की तहरीर प्राप्त होने पर उसने मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमबी-3503 के चालक अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र 49/11 में (प्रदर्श प्री-1) की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया जाना बताया है।

13 झनकलाल पवार (अ.सा.-11) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि वह दिनांक 25.05.2011 को रक्षित केंद्र बैतूल में प्रधान आरक्षक चालक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने अपने विभागीय प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर पुलिस थाना आमला आकर अपराध क्र. 100/11 से संबंधित मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमबी-3505 का मैकेनिकल परीक्षण किया था। साक्षी ने उसके द्वारा दी गयी मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-10) को प्रमाणित भी किया है।

14 शिवराम यादव (अ.सा.-12) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है वह दिनांक 26.04.2011 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उसे अपराध क्र. 100/11 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटना स्थल का मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-11) एवं अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमएल-8104 जप्त कर (प्रदर्श प्री-13) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-12) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है।

15 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा आहत को छोड़कर समस्त अभियोजन साक्षी अनुश्रुत साक्षी हैं जिनके समक्ष कोई घटना घटित नहीं हुई थी तथा आहत के कथनों में विरोधाभास है इसलिए अभियोजन के मामले को संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे सीपित होने का तर्क प्रकट किया है।

16 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में यद्यपि गुड्डू (अ.सा.-2), गोविंद (अ.सा.-3), अशोक (अ.सा.-4), दिनेश (अ.सा.-5) अनुश्रुत साक्षी हैं परंतु घटना के तत्काल पश्चात उक्त साक्षीगण का मौके पर आना आहत/फरियादी सुखवंती (अ. सा.-1) को घायल अवस्था में देखना, ईलाज हेतु अस्पताल ले जाने से यह प्रकट होता है कि आहत को घटना दिनांक को एकसीडेंट से चोट आयी थी। सुखवंती (अ. सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त विजय द्वारा मोटर सायकिल स्पीड से चलाकर उसे टक्कर मारना बताया है परंतु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जिस जगह पर वह खड़ी थी वह जगह बहुत ही उबड़-खाबड़ और पत्थरीली थी तथा अभियुक्त जिस मोटर सायकिल को चला रहा था वह मोटर सायकिल रोड पर

पड़े पत्थर से टकराकर उसके उपर आ गयी थी। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि मोटर सायकिल धीरे चल रही थी और यदि पत्थर से नहीं टकराती तो अनियंत्रित होकर उसके उपर नहीं आती। गुड्डू (अ.सा.-2) ने यद्यपि मुख्य परीक्षण में अभियुक्त विजय द्वारा मोटर सायकिल से उसकी पत्नी को टक्कर मारना बताया है परंतु प्रति परीक्षण में यह बताया है कि उसने आज प्रथम बार अभियुक्त को देखा है तथा यह भी बताया है कि जिस जगह पर उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था वह जगह पत्थरीली है। साक्षी ने पैरा तीन में यह बताया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय मोटर सायकिल का नंबर नहीं बताया था तथा लिखित आवेदन उसकी हस्तलिपि में नहीं है। यद्यपि उस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसे यह जानकारी भी नहीं है कि उस आवेदन में क्या लिखा था।

17 सुखवंती (अ.सा.-1) जो कि प्रकरण में आहत है उसके स्वयं के न्यायालयीन कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा किसी भी साक्षी ने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त विजय ने लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक अपनी मोटर सायकिल को चलाकर आहत को टक्कर मारी थी। स्वयं आहत सुखवंती ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि जिस जगह पर वह खड़ी थी वह जगह उबड़-खाबड़ और पत्थरीली थी जिस कारण से मोटर सायकिल अनियंत्रित होकर उसके उपर गिर गयी जिससे उसे चोट आयी। प्रकरण में शेष समस्त साक्षी गुड्डू (अ.सा.-2), गोविंद (अ.सा.-3), दिनेश (अ.सा.-5), गुरुप्रसाद (अ.सा.-6) अनुश्रुत साक्षी हैं जिन्होंने अपने समक्ष अभियुक्त को वाहन चलाते नहीं देखा। अभियोजन कथा अनुसार अशोक (अ.सा.-4) चक्षुदर्शी साक्षी है परंतु न्यायालय में उक्त साक्षी ने फोन पर सूचना मिलने पर मौके पर आना बताया है तथा स्वयं सुखवंती (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना स्थल पर घटना के समय कोई नहीं था। तब ऐसी स्थिति में साक्षी अशोक (अ.सा.-4) को चक्षुदर्शी साक्षी नहीं माना जा सकता और न ही उसने घटना स्वयं के द्वारा देखा जाना प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि आहत/फरियादी सुखवंती (अ.सा.-1) को मोटर सायकिल से टक्कर लगने के कारण उसके पैर में चोट आयी और फेक्चर हो गया परंतु उपलब्ध साक्ष्य से और स्वयं आहत के कथनों से यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त विजय राठौर द्वारा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमबी-3503 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत सुखवंती को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की गयी थी।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन क्र. एमपी-48-एमबी-3503 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित कर सुखवंती बाई को टक्कर मारकर घोर क्षति कारित की। फलतः अभियुक्त विजय राठौर को भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-एमसी-8104 अभिषेक पिता रमेशचंद्र राठौर निवासी बैतूल बाजार जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

20 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

21 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।
तथा दिनांकित कर घोषित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)